न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 65/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
.1. देवाराम वल्द काना उम्र 43 वर्ष 2. अनिल पुत्र चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 3. अशोक पुत्र चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 4. आरती पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 5. नारंगी पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 6. वर्षा पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 7. हुआ पुत्री चेनाराम नाबालिग कुररती वली माता पवनीदेवी 8. पवनी पत्नी चेनाराम उम्र 33 वर्ष 9. दरिया पत्नी काना उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. बाबू वल्द वागा उम्र 48 वर्ष 2. देवा वल्द वागा उम्र 45 वर्ष 3. करसण वल्द वागा उम्र 41 वर्ष 4. रामा वल्द चिमना फौत के कायमुकाम 4/1 चम्पादेवी पुत्री रामाराम उम्र 32 वर्ष 4/2 डालूदेवी पत्नी रामाराम उम्र 55 वर्ष 4/3 रखूदेवी पुत्री रामाराम उम्र 28 वर्ष 4/4 लीलादेवी पुत्री रामाराम उम्र 25 वर्ष 4/5 सूजीदेवी पत्नी रामाराम उम्र 20 वर्ष 4/6 मंगलाराम पुत्र रामाराम उम्र 30 वर्ष 4/7 सांवलाराम पुत्र रामाराम उम्र 22 वर्ष 5. भीमाराम वल्द गंगाराम उम्र 43 वर्ष 6. राणाराम वल्द तारा उम्र 48 वर्ष 7. प्रतापाराम वल्द तारा उम्र 46 वर्ष 8. सवाराम वल्द तारा उम्र 44 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 9. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा। 10. तहसीलदार सिणधरी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी सं 5 से 8 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 10 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय दिनांक– 26.06.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के संसगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण श्री जोगराज पोटलिया द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

री अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज र हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज सरहद मौजा लोलावा के खेत खसरा नम्बर 103, 57, 66 रकबा क्रमशः 6. 5448, 0.9627, 2.6940 हैक्टेयर कुल' रकबा 10.2015 हैक्टेयर का आया हुआ है। कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पैतृक है। पक्षकारान मुतवफी चिमना के वंशज है तथा विप्रार्थी संख्या 5 से 8 मुतवफी तारा के वंशज है। भू–प्रबन्ध चिमनाराम व ताराराम के नाम बहिस्सा बराबर पैमाईश हुऐ। तत्पश्चात् चिमनाराम फौत होने से प्रार्थीगण के पिता काना, विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता वागा, विप्रार्थी संख्या 4 के नाम व वागाराम फौत होने से विप्रार्थी संख्या 1 से 3, कानाराम फौत होने से प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद हुऐ। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण संख्या 1 से 9 का 1/6 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 5 से 8 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग अलग हिस्से दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड़ रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथामौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रहोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग पर निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम रोडे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज सरहद मौजा लोलावा के खेत खसरा नम्बर 103, 57, 66 रकबा क्रमशः 6.5448, 0.9627, 2.6940 हैक्टेयर कुल रकबा 10.2015 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

के विपरित वकील विप्रार्थीगण सं. 5 से 8 की बहस है कि पक्षकारान मौके पर आहमी बंटवाड़े अनुसार मौके पर काबिज है, जिसमें पक्षकारान के मध्य विधिवत जित नहीं होने तक दोनों पक्षों को जरिये स्थगन के पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण व य विप्रार्थीगण मौके पर कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। जहां प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा उभयपक्ष को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सिणधरी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज सरहद मौजा लोलावा के खेत खसरा नम्बर 103, 57, 66 रकबा क्रमशः 6.5448, 0.9627, 2.6940 हैक्टेयर कुल रकबा 10.2015 हैक्टेयर के पक्षकारान के अपने–अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner